G:\Govind\Latter 125

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
2, जलपथ गांधीनगर, जयपुर

क्रमांकः एफ. 16(1)(120)सामान्य/आईसीडीएस/15/77148-481 जयपुर, दिनांकः 7-5-18

1. समस्त उप निदेशक,
   महिला एवं बाल विकास विभाग।

2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी
   समेकित बाल विकास सेवाऐं।

विषयः— अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2018 के संबंध में।
प्रसंगः— मुख्य सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग का परिपत्र क्रमांक प.25 (1)आयु/2018 दिनांक 24.4.18 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया है । राज्य मुख्यालय जयपुर , समस्त जिला मुख्यालयों एवं समस्त ब्लाक मुख्यालय तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर दिनांक 21 जून 2018 को प्रातः 7.00 से 8.00 बजे तक अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित किया जावेगा । समारोह आयोजन मे समस्त केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, उपक्रमों, संस्थानों आदि की सहभागिता ली जावेगी ।

अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजन सुचारू एवं व्यवस्थित किये जाने हेतु प्रासंगिक परिपत्र में समितियॉ गठित की गयी है जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप परिपत्र के अनुसार अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित किया जाना सुनिश्चित करावें ।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार परिपत्र।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

copy to -
ACP/उपनिदेशक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उप निदेशक (प्रशासन)

समेकित बाल विकास सेवाऐं, 2 जलपथ, गांधीनगर, जयपुर
विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in Tel-fax 0141-2700281 दूरभाष नं. 0141-2713630

Most Urgent / IDY-2018

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक -- प.25(1)आयु. /2018 जयपुर, दिनांक – 24/04/2018

परिपत्र

विषय : 21 जून, 2018 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाये जाने हेतु विभागीय समितियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

......

11 दिसम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प पारित किया। संकल्प में महासभा ने स्वीकार किया कि योग स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य, बीमारियों की रोकथाम और जीवन शैली सम्बन्धित विकारों के प्रबन्धन के लिए आवश्यक है।

इसी के अन्तर्गत राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है। राज्य मुख्यालय जयपुर, समस्त जिला मुख्यालयों, समस्त ब्लॉक मुख्यालयों तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 21 जून, 2018 को प्रातः 7.00 से 8.00 बजे तक अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित किया जायेगा (परिशिष्ट क अनुसार)। समारोह आयोजन में समस्त केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, उपक्रमों, संस्थानों निगमों बोर्ड, स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहभागिता ली जावेगी।

1. **आयोजन समितियों का गठन** :– राज्यभर में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस –2018 का आयोजन सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से किये जाने हेतु आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया जाता है तथा इसके आयोजन हेतु निम्नानुसार समितियों का गठन किया किया जाता है जिसमें निम्न विभागों एवं संगठनों की सहभागिता होगी –

(1) राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति :–

I. मुख्य सचिव (अध्यक्ष)
II. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास
III. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
IV. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा
V. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
VI. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन
VII. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
VIII. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खेल एवं युवा मामलात
IX. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग
X. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी
XI. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा

Commissioner ICDS
Raj. Jaipur
Receipt No. 1712
Date 30/4/18

XII. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा
XIII. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास
XIV. शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क
XV. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क
XVI. राज्य समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना
XVII. क्षेत्रिय निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र
XVIII. क्षेत्रिय निदेशक, दूरदर्शन, जयपुर
XIX. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, जयपुर
XX. निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर (राज्य नोड़ल अधिकारी)
XXI. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग (सदस्य सचिव)

समिति के कार्य :-

A. समस्त विभागों की सहभागिता एवं दायित्वों का निर्धारण कर दिशा निर्देश जारी करना एवं उनकी कियान्विति प्रगति का प्रबोधन।
B. आयोजन में सहभागी समस्त विभागों में समन्वयन करना।
C. वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना।

(2) जिला स्तरीय कियान्वयन समिति :-

I. जिला कलक्टर (अध्यक्ष)
II. जिला पुलिस अधीक्षक
III. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
IV. जिले में कार्यरत समस्त उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर
V. जिले में कार्यरत समस्त विकास अधिकारी
VI. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
VII. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
VIII. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक / माध्यमिक
IX. जिला खेल अधिकारी
X. कोषाधिकारी
XI. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
XII. जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक
XIII. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग / जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी
XIV. जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र / भारत स्काउट गाईड़ / राष्ट्रीय सेवा योजना
XV. आयुक्त नगर निगम / नगर परिषद / जिले के समस्त अधिषाशी अधिकारी नगर पालिकाएँ
XVI. जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय / निजी महाविद्यालय व विद्यालय प्रतिनिधि
XVII. भारत सरकार द्वारा योग कार्यकम हेतु नामित स्वयंसेवी संगठन
XVIII. योग क्षेत्र में कार्यरत जिले के स्वयंसेवी संगठन / सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि
XIX. योग क्षेत्र में कार्यरत अन्य कोई संस्थान, व्यक्ति जिसे जिला कलक्टर शामिल करना उपयोगी समझे।